निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1942 (श0)

(सं0 पटना 896) पटना, बुधवार, 18 नवम्बर 2020

fof/k foHkkx

अधिसूचना

18 नवम्बर 2020

सं० एल0जी0–01–09/2020/6332/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 20 अक्तूबर 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव ।

¼fcgkj vf/kfu;e 16] 2020½
dkj[kkuk ¼fcgkj l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2020
¼dkj[kkuk vf/kfu;e] 1948 dk l'kksf/kr djus gsrq vf/kfu;e½

iLrkouk ।– चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1- laf{kIr uke] foLrkj vkj izkjEHkA&

(1) इस अधिनियम को कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2- dkj[kkuk vf/kfu;e] 1948 esa l'kks/kuA&

¼1½ कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा–2 के खण्ड (ड) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(i) उपधारा (i) में शब्द ''दस'' को शब्द ''बीस'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा और

(ii) उपधारा (ii) में शब्द ''बीस'' को शब्द ''चालीस'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा–5 के पश्चात निम्नलिखित धारा अतःस्थापित की जाएगी।–

''5–(क) (लोकहित में नये कारखानों को छूट देने की शक्ति)– जहाँ कि राज्य सरकार को समाधान हो जाता है कि अधिक आर्थिक गतिविधियॉ व रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए लोकहित में यह आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी नये कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के नये कारखानों, जो स्थापित हुए हैं एवं व्यावसायिक उत्पादन आरंभ हुआ है, को ऐसी शर्त्तों के अध्याधीन, जैसी वह उचित समझे, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने के दिनांक से एक हजार दिनों की अवधि के लिए छूट दे सकेगी''।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नये कारखानें या किसी वर्ग या प्रकार के नये कारखानों से यह अभिप्रेत है कि ऐसा नया कारखाना या किसी वर्ग या किसी प्रकार के नये कारखाने, जो स्थापित हुए हों एवं जिनमें कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने से एक हजार दिवस की अवधि में व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो।

¼3½ कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–85 की उपधारा–1 के खण्ड (i) में शब्द ''दस'' को शब्द ''बीस'' से एवं शब्द ''बीस'' को शब्द ''चालीस'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3- fof/kekU;dj.k A& अधिनियम की इस धारा –2 के खंड (ड), धारा–5 एवं धारा– 85 की उप धारा–.1 कें खंड (i) में संशोधन होते हुए भी, इसके पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और अधिनियम की धारा –2 के खंड (ड), धारा–5 एवं धारा– 85 की उप धारा–.1 के खंड (i) के संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

4. fujlu ,oa O;kofÙk A&

(i) कारखाना (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–08, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव ।

18 नवम्बर 2020

सं० एल0जी0–01–09/2020/6333/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर 2020 को अनुमत **कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

(BIHAR ACT 16, 2020)
THE FACTORIES (BIHAR AMENDMENT) ACT, 2020
(An Act further to amend the Factories Act, 1948)

Whereas, the Covid-19 pandemic has deteriorated the Industrial and Economic activities in the State of Bihar and for providing impetus to the Industrial and Economic activities in the State, it is important to provide new opportunities for Industrial investment in the State;

And whereas, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy First year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title,extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Factories (Bihar Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment of the factories act, 1948*** .—

(1) In the Factories Act, 1948, in section 2, in clause(m) will be substituted as follows

(i) in sub-clause (i), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted;and

(ii) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

(2) In the Factories act, 1948, in section 5, the following section shall be iserted namely:-

"5-A (Power to exempt new factories in public interest)- Where the State Government is satisifed in the public interest that it is neccessary to create more economic activites and employment opportunities, it may, by notification in the official Gazette, exempt, subject to such conditions as it may think fit, any new factory or class or description of news factories which are established and whose commercial production start, from all or any of the provisions of this Act for a period of one thousand days from the date on which such commercial production start."

Explanation.— For the purpose of this section the expression"New Factory or class or descripition of new factories" means such factory or class or description of facotries which are established and whose commercial production start within a period of one thousand days after the commencement of the Factories (Bihar Amendment) Act, 2020.

(3) In the Factories Act, 1948, in the Clause (i) of sub section 1 of Section-85 of the Act, for the word "ten", the word "twenty"and for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

3. ***Validation.—***Notwithstanding amendment in Clause (m) of section 2, section 5 and in the Clause (i) of sub section-1 of Section-85 of the Act, anything done and decision and action taken

prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of amendment of Clause (m) of section 2, section 5 and in the Clause (i) of sub section-1 of Section-85 of the Act.

4. ***Repeal and Savings.—***

(i) The Factories (Bihar Amendment) Ordinance, 2020. (Bihar Ordinance No-08-2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the days on which such thing was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
P.C.Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 896-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in